



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042026-271540
CG-DL-E-02042026-271540

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 231]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 2, 2026/चैत्र 12, 1948

No. 231]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 2, 2026/CHAITRA 12, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 251(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) (तृतीय संशोधन) नियम, 2026 है।
(2) ये 10 अप्रैल, 2026 को लागू होंगे।
- राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 6 के उपनियम (3क) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्—

“(3क) यदि वाहन का उपयोक्ता, यथास्थिति, बिना फास्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग के फीस प्लाजा में प्रवेश करता है एवं एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुगतान करने के विकल्प का चयन करता है, तो वह नियम 4 के उप-नियम (2) के अधीन उस श्रेणी के वाहन पर लागू उपयोक्ता फीस का 1.25 गुना भुगतान करेगा।

परंतु यदि वाहन का स्वामी या चालक इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट विधि से फीस का भुगतान करने का विकल्प नहीं चुनता है, तो ऐसे वाहन के साथ नियम 14 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

स्पष्टीकरण:-

यदि नियम 4 के उप-नियम (2) के अनुसार किसी विशिष्ट श्रेणी के वाहन के लिए उपयोक्ता फीस एक सौ रुपये है और यदि वह वाहन, यथास्थिति, बिना फास्टैग या बिना विधिमान्य, कार्यशील फास्टैग के, फीस प्लाजा में प्रवेश करता है, तथा उस वाहन का उपयोक्ता एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) के माध्यम से फीस का भुगतान करने के विकल्प का चयन करता है, तो वह 1.25 गुना (अर्थात् केवल एक सौ पच्चीस रुपये) का भुगतान करेगा।

[फा. सं. एच-25016/03/2025-टोल/ई-252204]

चेतनानंद सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 के द्वारा से प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात संख्या सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010; सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011; सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 2011; सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013; सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014; सा.का.नि. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014; सा.का.नि. 2 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014; सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015, सा.का.नि. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016; सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2016; सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017; सा.का.नि. 427(अ), तारीख 7 मई, 2018; सा.का.नि. 920(अ), तारीख 25 सितंबर, 2018; सा.का.नि. 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019; सा.का.नि. 298(अ), तारीख 15 मई, 2020; सा.का.नि. 523(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020 और सा.का.नि. 804(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2020; सा.का.नि. 467(अ), तारीख 24 जून, 2022; सा.का.नि. 725 (अ), तारीख 6 अक्टूबर, 2023; सा.का.नि. 556 (अ), तारीख 9 सितंबर, 2024; सा.का.नि. 388 (अ), तारीख 17 जून, 2025; सा.का.नि. 437 (अ), तारीख 1 जुलाई, 2025; सा.का.नि. 734 (अ), तारीख 3 अक्टूबर, 2025; सा.का.नि. 01 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2025; सा.का.नि. 107 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2026 और सा.का.नि 191 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd April, 2026

G.S.R. 251(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) (Third Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the 10th day of April, 2026.

2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, in rule 6, for sub-rule (3A), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(3A) If the user of a vehicle enters a fee plaza without a FASTag or a valid functional FASTag, as the case may be, and opts to pay fee through the Unified Payment Interface (UPI), he shall pay 1.25 times of the user fee applicable to that category of vehicle in accordance with the provisions of sub-rule (2) of rule 4:

Provided that if the owner or driver of the vehicle does not opt to pay fee in the manner specified under this rule, such vehicle shall be dealt in accordance with rule 14.

Illustration: *If the user fee for a particular class of vehicle as per sub-rule (2) of rule 4 is rupees hundred and if that vehicle enters a fee plaza without a FASTag or a valid, functional FASTag, as the case may be, if the user of that vehicle opts to pay fee through Unified Payment Interface (UPI), he shall pay 1.25 times (i.e. rupees one hundred and twenty five only).”.*

[F. No.H-25016/03/2025-Toll (E-252204)]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Note: – The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 838 (E), dated the 5th December, 2008 and were subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 950(E), dated the 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E), dated the 12th January, 2011, G.S.R. 756(E), dated the 12th October, 2011, G.S.R. 778(E), dated the 16th December, 2013, G.S.R. 26(E), dated the 16th January, 2014, G.S.R. 831(E), dated the 21st November, 2014, G.S.R. 2(E), dated the 29th December, 2014, G.S.R. 220(E), dated the 23rd March, 2015, G.S.R. 585(E), dated the 8th June, 2016, G.S.R. 1114(E), dated the 2nd December, 2016, G.S.R. 248(E), dated the 14th March, 2017, G.S.R. 427(E), dated the 7th May, 2018, G.S.R. 920(E), dated the 25th September, 2018, G.S.R. 942(E), dated the 20th December, 2019, G.S.R. 298(E), dated the 15th May, 2020, G.S.R. 523(E), dated the 24th August, 2020 and G.S.R. 804(E), dated the 30th December, 2020, G.S.R. 467 (E) dated the 24th June, 2022, G.S.R. 725 (E), dated the 6th October, 2023, G.S.R. 556 (E), dated the 9th September, 2024, G.S.R. 388 (E) dated the 17th June, 2025, G.S.R. 437 (E) dated the 1st July, 2025, G.S.R. 734 (E) dated the 3rd October, 2025, G.S.R. 01 (E) dated the 31st December, 2025, G.S.R. 107 (E) dated the 4th February, 2026 and G.S.R. 191 (E) dated the 17th March, 2026.